

जबलपुर स्थित मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में

CONC क्रमांक 5009, 2026

(श्री विशाल सिंह मसेकरीने अवधी शीन विशाल सिंह वीएस सुची दिनांक 2026 के साथ सूचीबद्ध करें)

दिनांक: 10-08-2026

श्री सिद्धार्थ शुक्ला - याचिकाकर्ता के अधिवक्ता।

प्रतिवादियों को आरएडी मोड के माध्यम से सात कार्य दिवसों के भीतर प्रक्रिया

शुल्क के भुगतान के लिए नोटिस जारी करें।

इसे WP क्रमांक 21982 दिनांक 2026 के साथ सूचीबद्ध करें।

(विशाल मिश्रा)

न्यायाधीश

जे.पी.

CONC नं.

5009

याचिकाकर्ता

:

विशाल सिंह मर्सकोले

बनाम

उत्तरदाता:

दिशा देहरिया & अनर.

अनुक्रमणिका

सीनियर खैर.	दस्तावेजों का विवरण	अनुलग्नक	पृ. नहीं।
1.	अनुक्रमणिका		1 /
2.	अवमानना याचिका का ज्ञापन		2. 9
3.	दस्तावेजों की सूची		10 /
4.	दिनांक 25.06.2026 के आदेश की प्रमाणित प्रति	सी-1	11. 13
5.	दिनांक 03.07.2026 का आदेश	सी-2	14 /
6.	ज्वाइनिंग लेटर	सी 3	15. 17
7.	पत्र संख्या 1656 और 1715	सी-4	18. 22
8.	बैंक को लिखे गए पत्र और अन्य संचार	सी-5	23. 25
	वकालतनामा (इंजेलगमेंट का पृष्ठ 9)		26-35

जबलपुर.

याचिकाकर्ता के वकील 2

②

सिद्धार्थ शुक्ला, एडवोकेट]

एमपी/1518/2012]

- शपथ:

प्राप्त हुई

उच्च कोर्टास प्रति

19 आईएनजे 20

सिंह जाबेटपुर
फॉर द 0अक्षमी

२A

रद्द किया गया

(2)



मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर स्थित प्रधान पीठ में

CONC No. 5009/2026

याचिकाकर्ता

शुक्ला द्वारा 21/47/26
को प्रस्तुत किया गया...

फूँक मारना

प्रेजेंटेशन असिस्टकट

श्री विशाल सिंह मर्सकोले

विशाल सिंह के नाम से भी जाना जाता है।

स्वर्गीय श्री उत्तम सिंह के पुत्र

गोंड,

लगभग 38 वर्ष की आयु

मुख्य नगर पालिका अधिकारी,

नगर पालिका परिषद सेवा

वर्तमान निवास-

नगर पालिका परिषद कैंपस, सेवा,

डिस्ट्रिक्ट-सेवा, (एमपी).

बनाम

उत्तरदाता:

1. सुश्री दिशा डेहरिया,
राजस्व उप-निरीक्षक,
नगर पालिका परिषद,
सिवनी, जिला सिवनी (मध्य प्रदेश)।



9-जुलाई 2026

(3)

2. श्री ज्ञानचंद सनोडिया,
अध्यक्ष,
नगर पालिका परिषद,
सेवा, डिस्ट्रिक्ट सेवा (एम.प.).

215

संविधान के अनुच्छेद के तहत याचिका

भारत

Chait

1. याचिका के विरुद्ध दायर किए गए कारणों/आदेशों का विवरण

बनाया:

व।

(i) आदेश की तिथि: 25.06.2026 (५१)

(ii) पारित/जारी किया गया: WP/21982/2026

(iii) पारित/जारीकर्ता: माननीय मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय (माननीय
श्री न्यायमूर्ति विशाल धागत)

2. विषयवस्तु का संक्षिप्त विवरण: -

- i) यह अवमानना याचिका दिनांक 25/06/2026 के अंतरिम स्थगन आदेश के चल रहे, जानबूझकर उल्लंघन को संबोधित करती है, जिसे 03/07/2026 को रिट याचिका संख्या 21982/2026 में बिना शर्त बढ़ा दिया गया था, जिसमें दिनांक 15/06/2026 के स्पष्ट रूप से अवैध और दंडात्मक स्थानांतरण आदेश पर रोक लगाई गई थी, जिसका उद्देश्य याचिकाकर्ता (एक नियमित श्रेणी-II राजपत्रित सीएमओ) को असंवैधानिक रूप से हटाकर अवमाननाकर्ता संख्या 1 (एक कनिष्ठ श्रेणी-III राजस्व उप-निरीक्षक) को मध्य प्रदेश नगर पालिका सेवा (कार्यपालन) नियम, 1973 का उल्लंघन करते हुए नगर पालिका परिषद सिवनी के स्वतंत्र प्रभार में नियुक्त करना था।



इस माननीय न्यायालय का दिनांक 25.06.2026 का आदेश अनुलग्नक C-1 के रूप में संलग्न है।
 इस माननीय न्यायालय का दिनांक 03.07.2026 का आदेश अनुलग्नक C-2 के रूप में संलग्न है।
 याचिकाकर्ता को सिवनी में बने रहने और तत्काल औपचारिक रूप से पुनः कार्यभार ग्रहण करने की स्पष्ट न्यायिक अनुमति के बावजूद, अवमाननाकर्ता संख्या 1 ने जानबूझकर नगरपालिका की वित्तीय आहरण एवं संवितरण (डीडीओ) शक्तियों को रोक रखा है और पत्र संख्या 1656 और 1715 के माध्यम से कृत्रिम "मार्गदर्शन" प्राप्त करने के बहाने अनधिकृत प्रशासनिक नोट-शीट तैयार की हैं। कार्यभार ग्रहण रिपोर्ट अनुलग्नक C-3 के रूप में संलग्न है। उक्त पत्र संख्या 1656 और 1715 अनुलग्नक C-4 के रूप में संलग्न हैं। इस अनधिकृत समानांतर प्रशासन को अवमाननाकर्ता संख्या 2 (अध्यक्ष) द्वारा सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जा रहा है, जो अदालत द्वारा संरक्षित मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीएम) की अनदेखी करते हुए मिलीभगत से आधिकारिक वित्तीय फाइलों को एक कनिष्ठ उप-पदाधिकारी को भेज रहा है। अवमाननाकर्ताओं की दुर्भावनापूर्ण अवज्ञा 08/07/2026 को चरम पर पहुंच गई, जब अवमाननाकर्ता संख्या 1 ने पत्र संख्या 1901 के माध्यम से एक आक्रामक संचार जारी किया, जिसमें भारतीय स्टेट बैंक को उच्च न्यायालय के 03.07.2026 के आदेश को दुर्भावनापूर्ण रूप से गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया था। इसमें झूठा दावा किया गया था कि न्यायालय ने उसकी तैनाती यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया है और शाखा को केवल उसके हस्ताक्षर से ही सार्वजनिक भुगतानों को मंजूरी देने का आदेश दिया है। बैंक को लिखा गया उक्त पत्र अनुलग्नक सी-5 के रूप में अन्य संचारों और पत्रों के साथ संलग्न है, जो यह दर्शाता है कि अवमाननाकर्ता संख्या 1 अदालत के आदेशों के बावजूद सीएमओ के रूप में अपना आचरण जारी रखे हुए है। क्योंकि अवमाननाकर्ता संख्या 1 को जबरदस्ती से बचाने के लिए दी गई सीमित व्यक्तिगत सुरक्षा का कोई प्रशासनिक महत्व नहीं है और यह उसे सीएमओ के रूप में सार्वजनिक कर्तव्यों का निर्वहन करने या कॉर्पोरेट फाइलों पर हस्ताक्षर करने के लिए अधिकृत नहीं करती है, इसलिए अवमाननाकर्ताओं की संयुक्त चालबाजी न्यायिक निष्पक्षता का जानबूझकर, कपटपूर्ण उल्लंघन है और



जुलाई

न्यायालय की अवमानना अधिनियम, 1971 की धारा 12 के तहत दीवानी अवमानना का

स्पष्ट मामला।

3. प्रस्तावित आधार:

ए. इसके लिए यह निवेदन किया जाता है कि इस माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 03/07/2026 को पारित सुरक्षात्मक निर्देश, जिसमें कहा गया है कि "प्रतिवादी संख्या 4 के विरुद्ध कोई दंडात्मक कार्रवाई न की जाए", याचिका की लंबित अवधि के दौरान दंडात्मक, अनुशासनात्मक या गिरफ्तारी संबंधी कार्रवाइयों से केवल व्यक्तिगत, सीमित प्रतिरक्षा प्रदान करता है। उक्त व्यक्तिगत सुरक्षा कवच एक न्यायसंगत सुरक्षा कवच है; इसका किसी भी प्रकार से यह अर्थ नहीं है कि दिनांक 25/06/2026 का मुख्य अंतरिम स्थगन आदेश संशोधित, कमजोर या निरस्त हो गया है।

बी. क्योंकि प्रतिवादी संख्या 1 ने याचिकाकर्ता को सीएमओ की कुर्सी न सौंपकर और प्रतिवादी संख्या 2 के साथ सक्रिय रूप से मिलीभगत करके उसे कार्य करने से रोककर न्यायालय के आदेशों की जानबूझकर अवहेलना की है।

सी. क्योंकि प्रतिवादी संख्या 1 ने बैंक को यह कहकर गुमराह करके राजकोष पर जानबूझकर धोखाधड़ी की है कि अदालत ने प्रभारी सीएमओ के रूप में उसकी नियुक्ति को रद्द कर दिया है या यथास्थिति बनाए रखी है।

डी. इसके लिए, दिनांक 03/07/2026 के आदेश में स्पष्ट और बिना शर्त यह अनिवार्य किया गया है: "अगली सुनवाई की तारीख तक अंतरिम राहत जारी रहेगी।" अतः, दिनांक 15/06/2026 के विवादित स्थानांतरण आदेश का कानूनी संचालन विधि की दृष्टि में पूर्णतः निलंबित और स्थगित है। सेवा न्यायशास्त्र का यह एक मूलभूत सिद्धांत है कि जब किसी उच्च न्यायालय द्वारा स्थानांतरण आदेश पर रोक लगाई जाती है, तो स्थानांतरित व्यक्ति की कानूनी स्थिति मूल पद पर पूर्णतः बहाल हो जाती है। परिणामस्वरूप, याचिकाकर्ता नगर पालिका परिषद, सिवनी के एकमात्र, विधिवत मान्यता प्राप्त मुख्य नगर अधिकारी बने हुए हैं।

चूंकि याचिकाकर्ता मुख्यमंत्री पद पर बनी हुई हैं, इसलिए याचिकाकर्ता संख्या 1 की स्थिति पूरी तरह अनिश्चित है। उनके पास किसी भी कार्यकारी को बर्खास्त करने

का कोई कानूनी अधिकार या वैधानिक प्राधिकार नहीं है।



मुख्यमंत्री कार्यालय से संबंधित प्रशासनिक या वित्तीय कर्तव्यों का निर्वहन करना उनके लिए अनुचित है। उन्हें दबाव से बचाने वाला सीमित निर्देश उन्हें समानांतर कार्यकारी के रूप में कार्य करने या मुख्यमंत्री कार्यालय के नियमित कार्यों को करने का अधिकार नहीं देता है। वित्तीय प्रमाण पत्र सौंपने से उनका लगातार इनकार, साथ ही 03/07/2026 के बाद "मुख्यमंत्री कार्यालय" के नाम से लगातार आधिकारिक पत्र जारी करना, मुख्य स्थगन आदेश का स्पष्ट और आक्रामक उल्लंघन है।

एफ. अवमानना करने वाले दिनांक 25/06/2026 और 03/07/2026 के आदेशों को एक साथ पढ़ने के संबंध में अज्ञानता या भ्रम का बहाना नहीं बना सकते। अवमाननाकर्ता संख्या 1 के स्वयं के लिखित संचार, विशेष रूप से पत्र संख्या 1656 और पत्र संख्या 1715, स्पष्ट रूप से स्थगन आदेश के लागू होने की पुष्टि करते हैं और याचिकाकर्ता की औपचारिक रूप से कार्यभार पर वापसी को दर्ज करते हैं। यह जानते हुए कि स्थगन आदेश पूरी तरह से लागू है, अवमाननाकर्ता संख्या 1 ने जानबूझकर अपनी सीमित व्यक्तिगत सुरक्षा का उपयोग नियमित मुख्यमंत्री को उनकी वित्तीय शक्तियों से वंचित करने के लिए एक आक्रामक हथियार के रूप में किया है। कृत्रिम प्रशासनिक गतिरोध पैदा करने का यह सुनियोजित प्रयास इस माननीय न्यायालय द्वारा प्रदान की गई निष्पक्षता का स्पष्ट, खुला उल्लंघन और धोखाधड़ी है।

जी. अवमाननाकर्ता संख्या 2 को याचिकाकर्ता के सक्रिय पुनः नियुक्ति पत्रों की औपचारिक, मुहर लगी जानकारी होने के बावजूद उसने सक्रिय रूप से उच्च न्यायालय के आदेश की अवहेलना करना चुना है और याचिकाकर्ता को प्रभार नहीं दिया है।

एच. नियमित श्रेणी-द्वितीय मुख्य निरीक्षक की शारीरिक उपस्थिति में नगरपालिका नोट-पत्रों को जानबूझकर रूट करके, लेखा फाइलों को पास करके और कनिष्ठ श्रेणी-तृतीय राजस्व उप-निरीक्षक के हस्ताक्षरों को मान्य करके, अवमाननाकर्ता संख्या 2 सक्रिय रूप से इस विध्वंस में सहायता और उकसा रहा है।

1. यह संयुक्त पैतरेबाजी नगरपालिका पदानुक्रम को पूरी तरह से ध्वस्त कर देती है और दीवानी अवमानना का एक स्पष्ट उदाहरण प्रस्तुत करती है, जो न्यायालय की अवमानना अधिनियम, 1971 की धारा 12 के तहत स्थापित नियम का प्रत्यक्ष उल्लंघन है।



जुलाई 1993

7

4. घोषणा: याचिकाकर्ता एतद्वारा घोषणा करता है कि आदेश के विरुद्ध

दिनांक 25.06.2026 तक, सर्वोच्च न्यायालय या किसी अन्य न्यायालय द्वारा कोई रिट अपील, पुनरीक्षण, विशेष अनुमति याचिका लंबित नहीं है या उस पर निर्णय नहीं लिया गया है।

5. घोषणा: याचिकाकर्ता आगे यह घोषणा करता है कि इस विषय पर पहले किसी भी न्यायालय, प्राधिकरण या न्यायाधिकरण में कोई कार्यवाही शुरू नहीं की गई है।

6. याचिका दाखिल करने में हुई देरी (यदि कोई हो) और उसका स्पष्टीकरण: याचिकाकर्ता यह घोषणा करता है कि याचिका समय सीमा के भीतर दाखिल की गई है। इस अवमानना याचिका के समर्थन में याचिकाकर्ता/आवेदक का हलफनामा संलग्न है।

7. आपत्ति: याचिकाकर्ता आगे यह प्रस्तुत करता है कि प्रतिवादियों/अवमानना करने वालों से कोई आपत्ति या नोटिस प्राप्त नहीं हुआ है।

8. मांगी गई राहतें:

प्रार्थना

अतः, इस माननीय न्यायालय से अत्यंत विनम्रतापूर्वक निवेदन है कि वह कृपापूर्वक निम्नलिखित कार्य करे:

(i) अवमानना अधिनियम, 1971 के तहत अवमानना करने वालों द्वारा दिनांक 25/06/2026 के स्थगन आदेश के प्रत्यक्ष उल्लंघन में किए गए जानबूझकर अवज्ञा का औपचारिक संज्ञान लेना। (41)

(ii) अवमाननाकर्ता संख्या 1 (श्री दिशा देहरिया) और अवमाननाकर्ता संख्या 2 (श्री ज्ञानचंद सनोदिया) को नोटिस जारी करें और व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का आदेश दें।

आयुक्त और

लक्ष्मी

देव सिंह,

शपथ

जबलपुर, उच्च न्यायालय के लिए

1, 9 जुलाई 2006

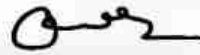
⑧

इस न्यायालय के समक्ष कारण बताने के लिए कि उन्हें अवमानना के लिए दंडित क्यों नहीं किया जाना चाहिए;

(iii) दिनांक 25.06.2026 के इस माननीय न्यायालय के आदेश की जानबूझकर और सोची-समझी अवज्ञा के लिए प्रतिवादी अवमाननाकर्ताओं को दंडित किया जाए।

जबलपुर.

याचिकाकर्ता के वकील



तारीख:

[सिद्धार्थ शुक्ला, एडवोकेट]

[एमपी/1518/2012]

(9)

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर स्थित प्रधान पीठ में

CONC/ 5069

याचिकाकर्ता

विशाल सिंह मर्सकोले

बनाम

उत्तरदाता:

मध्य प्रदेश राज्य और अन्य।

शपथ पत्र



मैं, विशाल सिंह मार्सकोले, लगभग 39 वर्ष, स्वर्गीय श्री उत्तम सिंह गौड का पुत्र, वर्तमान में मध्य प्रदेश राज्य नगर निगम सेवा (कार्यकारी) में द्वितीय श्रेणी अधिकारी (मुख्य नगर निगम अधिकारी श्रेणी बी) के पद पर कार्यरत, वर्तमान में सीएमओ निवास, पुराना फिल्टर, फिल्टर ग्राउंड के सामने, नगर पालिका परिषद सिवनी, जिला सिवनी (मध्य प्रदेश) का निवासी, एतद्वारा शपथपूर्वक निम्नलिखित कथन करता/करती हूँ:

(1) कि मैं इस अवमानना मामले में याचिकाकर्ता हूँ और मैं वर्तमान मामले के तथ्यों से भलीभांति परिचित हूँ और साथ में संलग्न अवमानना याचिका मेरे निर्देशों के अनुसार वकील द्वारा तैयार की गई है और इसे मुझे पढ़कर सुनाया गया है और समझाया गया है और मैंने इसे समझ लिया है।

(2) यह कि आयुक्त के अनुच्छेद 1 से अंत तक की सामग्री, जिसमें प्रार्थना/राहत खंड भी शामिल है, मेरे ज्ञान के अनुसार सत्य है और अभिलेखों से प्राप्त जानकारी के आधार पर मुझे विश्वास है कि यह सत्य है।



नमस्ते ई

सत्यापन

अभिप्रेक्षी

हाई शाल सिंह मार्सकोले, उपर्युक्त शपथकर्ता, एतद्वारा सत्यापित करता/करती हूँ कि उपरोक्त शपथपत्र के पैरा 1 से 3 की सामग्री मेरे व्यक्तिगत ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य है।

दिनांक 19 जुलाई 2026 को सत्यापित और हस्ताक्षरित।

जबलपुर में.

तारीख

मेरे सामने शपथ ली
दिनांक...20.2.6 को शपथकर्ता: ईशाल सिंह।

पहचान की
मेरे द्वारा पहचाना गया

राजक, स्वर्गीय उत्तम सिंह गौड के पुत्र।
रूप से ज्ञात है (या) जिनकी पहचान
वकील द्वारा की गई है... श्रीमान
दिनांक 197126 के साथ किसके
हस्ताक्षर संलग्न हैं?
जबलपुर क्या बकवास है और

लक्ष्मी देवी
सिंह, शपथ आयुक्त
जबलपुर जिला उच्च
न्यायालय के लिए

(10)

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर स्थित प्रधान पीठ में

CONC नं. 5009

याचिकाकर्ता

: विशाल सिंह मर्सकोले

बनाम

उत्तरदाता:

दिशा देहरिया & अनर.

दस्तावेजों की सूची

सी.नियं.	दस्तावेजों का विवरण	दस्तावेज की तिथि	मूल/प्रतिलिपि	पृ. नहीं।
खैर.				
1.	दिनांक 25.06.2026 के आदेश की प्रमाणित प्रति	25.06.2026	प्रमाणित प्रतिलिपि	3
2.	दिनांक 03.07.2026 का आदेश		प्रतिलिपि	1
3.	शामिल होने के पत्र		-करना-	3
4.	पत्र संख्या 1656 और 1715		-करना-	4
5.	बैंक को पत्र		-करना-	3

जबलपुर.

याचिकाकर्ता के वकील



तारीख:

[सिद्धार्थ शुक्ला, एडवोकेट]

[एमपी/1518/2012]



(11)

Annex. 41

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, मुख्य पीठ जबलपुर में
केस नंबर: WP-21982-2026 (निपटारा गया)

आवेदक का विवरण:

आवेदन संख्या: 33899/2026

आवेदक का नाम: सिद्धार्थ शुक्ला

प्रकार: एक्सप्रेस

पार्टी का विवरण:

पारिवारिक

श्री विशाल सिंह मार्शकोले, जिन्हें विशाल सिंह जी के नाम से भी जाना जाता है, स्वर्गीय श्री उत्तम सिंह गौड़ के पुत्र हैं। उनकी उम्र लगभग 38 वर्ष है। वे मध्य प्रदेश में द्वितीय श्रेणी के अधिकारी के रूप में कार्यरत हैं और सिवनी जिले (मध्य प्रदेश) में फिल्टर परिषद परिषद के सामने स्थित परिसर में रहते हैं।

प्रतिवादी

शे स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, यू प्रिंसिपल सेक्रेटरी, आर/ओ मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल, डिस्ट्रिक्ट- भोपाल (मध्य प्रदेश) थे

डेप्युटी सेक्रेटरी स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश डिपार्टमेंट ऑफ अर्बन डेवलेपमेंट एंड हाउसिंग, आर/ओ वल्लभ भवन भोपाल, डिस्ट्रिक्ट- भोपाल (मध्य प्रदेश)

शहरी प्रशासन एवं विकास निदेशालय के आयुक्त, निवासी भोपाल, जिला- भोपाल (मध्य प्रदेश)

सुश्री दिशा देहरिया रेवेन्यू सब इंस्पेक्टर प्रेजेंटली पोस्टेड आस चीफ म्युनिसिपल ऑफिसर, आर/ओ नगर पालिका परिषद सेवा डिस्ट्रिक्ट सेवा, डिस्ट्रिक्ट-सेवा (मध्य प्रदेश)

अधिवक्ताओं का विवरण:

पारिवारिक अधिकार

सिद्धार्थ शुक्ला

प्रतिवादी अधिवक्ता

नीरज श्रीवास्तव [आर-4], भुवनेश शर्मा [आर-4], आदित्य वर्मा [आर-4], राम मूर्ति तिवारी [आर-4], आशीष दत्ता [आर-4]

विवरण में अंतिम बार सूचीबद्ध:

दिनांक 06-07-2026

न्यायाधीश थोडले श्री न्यायमूर्ति विशाल धागत

निचली अदालत का विवरण:

मामले का प्रकार

--0- जिला

व्यक्तिगत

पुलिस स्टेशन

अपराध क्र.

/0

न्यायाधीश

--

निर्णय तिथि

16-06-2026

अतिरिक्त विवरण:

विषय शीर्षक/श्रेणी/उप-

वर्ग

(1) राज्य सरकार से संबंधित सेवा-17100/स्थानांतरण मामला-17147/-

कानून का प्रावधान

01- संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत दायर याचिका

अधिनियम- यु/धारा

1- दिनांक 15-06-2026 (अनुलग्नक पृष्ठ 3) और 16-06-2026 के आदेशों के विरुद्ध

विवादित निर्णय/आदेश/पुरस्कार

(परिशिष्ट पृष्ठ 4)

का संक्षिप्त विवरण

दिनांक 15-06-2026 (अनुलग्नक पृष्ठ 3) और 16-06-2026 (अनुलग्नक पृष्ठ 4) के आदेशों

राहत का दावा किया गया

को रद्द करने के लिए।

प्रमाणपत्र:

1. मैं ओमप्रकाश बोरले (नाम) मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, मुख्य पीठ जबलपुर में प्रधान प्रतिलिपिकार के पद पर कार्यरत हूँ।

2. मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय न्याय प्रदान करने और उससे संबंधित विभिन्न गतिविधियों में संलग्न है।

3. कि मुख्य प्रतिलिपिकार के रूप में मेरी नियुक्ति के कारण, मुझे मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर में कंप्यूटर प्रणाली का उपयोग करने का अधिकार प्राप्त है।

4. मेरे द्वारा उपयोग किए जाने वाले सिस्टम के कंप्यूटर टर्मिनल हर समय नियमित रूप से सूचना को संग्रहीत या संसाधित करने के लिए कार्य कर रहे थे।

5. प्रमाणित प्रति की सामग्री मेरे कंप्यूटर से प्राप्त की गई है जो उच्च न्यायालय सर्वर में संग्रहीत है और जिसे स्कैन किया गया था।

मूल अभिलेखा का सक्षम प्राधिकारी द्वारा सत्यापन और डिजिटल हस्ताक्षर किए गए हैं और मेरे द्वारा प्रमाणित किए गए हैं।

अतः, उपरोक्त प्रमाण पत्र, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर, साक्ष्य अधिनियम की धारा 65बी का पर्याप्त

अनुपालन है। इसलिए, कंप्यूटर से निकाली गई उपरोक्त प्रमाणित प्रतियाँ/प्रिंट आउट प्रमाणित प्रति मानी जा सकती हैं।

तदनुसार, मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि संलग्न बांछित दस्तावेज़ की प्रमाणित प्रति मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर स्थित मेरे कंप्यूटर टर्मिनल

में नियमित रूप से दर्ज/प्रसारित किए गए इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड से पुनरुत्पादित या व्युत्पन्न की गई है, जो सामान्य

गतिविधियों के दौरान जारी की गई थी। इस गतिविधि के दौरान मेरे द्वारा उपयोग किया जाने वाला कंप्यूटर सिस्टम ठीक से काम कर रहा था।

बांछित दस्तावेज़ की प्रमाणित प्रति की सामग्री की सटीकता में कोई विकृति नहीं है।

हेड कॉपिकिस्ट
ओमप्रकाश बोरले

12

1

डब्ल्यूपी-21982-2026

जबलपुर स्थित मध्य प्रदेश उच्च

न्यायालय में

डब्ल्यूपी क्रमांक 21982, वर्ष 2026

(श्री विशाल सिंह मारुकोले, जिन्हें विशाल सिंह के नाम से भी जाना जाता है, बनाम मध्य प्रदेश राज्य और अन्य)

दिनांकित: 25-06-2026

श्री सिद्धार्थ शुक्ला - याचिकाकर्ता के अधिवक्ता।

श्री प्रवीण नामदेव - राज्य के सरकारी अधिवक्ता।

याचिकाकर्ता ने दिनांक 15.6.2026 और 16.6.2026 के आदेशों को चुनौती देते हुए भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत यह रिट याचिका दायर की है।

याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित वकील ने कहा कि राज्य सरकार के पास याचिकाकर्ता को एक नगर निगम से दूसरे नगर निगम में स्थानांतरित करने का अधिकार है, लेकिन स्थानांतरण आदेश में स्थानांतरण का कारण और स्थानांतरण की विशिष्ट अवधि का उल्लेख होना चाहिए। उनका तर्क है कि ऐसा न होने पर आदेश अवैध है और इंदौर नगर निगम कर्मचारी कांग्रेस और अन्य बनाम मध्य प्रदेश राज्य और अन्य के मामले में 1998(1) एमपीएलजे 449 में दिए गए फैसले के विपरीत है।

प्रतिवादियों को सात दिनों के भीतर प्रक्रिया शुल्क के भुगतान के लिए नोटिस जारी करें।

नोटिस चार सप्ताह के भीतर वापस करने योग्य बनाए जाएंगे।

दिनांक 15.06.2026 के विवादित स्थानांतरण आदेश में याचिकाकर्ता से संबंधित प्रावधान अगली सुनवाई की तिथि तक स्थगित रहेंगे। याचिकाकर्ता को नगर पालिका परिषद सिवनी में अपना पद

जारी रखने की अनुमति दी जाती है।

नियमानुसार प्रमाणित प्रति।

(विशाल धागत) जज

सीपीबी-1982-डीसीजीपीबी-18-3-05-1,00,000

(13)

11-10

सी.जे.

आवेदन प्राप्त हुआ	आवेदन को उपस्थित होने के लिए कहा गया	आवेदन (अतिरिक्त/सही विवरणों के साथ या उनके बिना) उपस्थित होने पर अभिलेखपाल/सहायक को भेजा गया	अभिलेखपाल/सहायक से प्राप्त आवेदन (रिकॉर्ड सहित या बिना रिकॉर्ड के, और यदि आवश्यक हो तो अतिरिक्त या सही विवरण के लिए)	आवेदक को आगे या सही जानकारी के लिए नोटिस दिया गया है।	आवेदक को क्रमांक (6) या अतिरिक्त धनराशि के नोटिस (7) में उल्लिखित नोटिस का अनुपालन होने पर	कॉपी कॉपी तैयार पर वितरित की गई	कोर्ट-फी का एहसास हुआ			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
-07-2026	20-07-2026	17-07-2026					17-07-2026	17-07-2026	17-07-2026	16

जिऑस्ट

सिर
प्रतिलिपिकार

अनुलग्नक.

सी-2

114

1

जबलपुर स्थित मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में

डब्ल्यूपी-21982-2026

डब्ल्यूपी क्रमांक 21982, वर्ष 2026

(श्री विशाल सिंह मार्शकोले, जिन्हें विशाल सिंह के नाम से भी जाना जाता है, बनाम मध्य प्रदेश राज्य और अन्य)

दिनांक: 03-07-2026

श्री सिद्धार्थ शुक्ला - याचिकाकर्ता के अधिवक्ता।

श्रीमती ऐश्वर्या सिंह - राज्य की सरकारी वकील।

श्री आर. के. वर्मा - वरिष्ठ अधिवक्ता - श्री राम मूर्ति तिवारी - अधिवक्ता

प्रतिवादी संख्या 4 की ओर से उपस्थित हुए।

इस मामले को 6.7.2026 को अंतिम सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करें।

अगली सुनवाई की तारीख तक प्रतिवादी संख्या 4 के खिलाफ कोई दंडात्मक

कार्रवाई न की जाए।

अगली सुनवाई की तारीख तक अंतरिम राहत जारी रहेगी।

(विशाल धागत) जज

1 मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में

जबलपुर में

डब्ल्यूपी क्रमांक 21982, वर्ष 2026

(श्री विशाल सिंह मार्शकोले, जिन्हें विशाल सिंह के नाम से भी जाना जाता है, मध्य प्रदेश राज्य और अन्य के निवासी)

दिनांक: 25-06-2026

श्री सिद्धार्थ शुक्ला - याचिकाकर्ता के अधिवक्ता।

श्री प्रवीण नामदेव - राज्य के सरकारी अधिवक्ता।

याचिकाकर्ता ने दिनांक 15.6.2026 और 16.6.2026 के आदेशों को चुनौती देते हुए भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत यह रिट याचिका दायर की है।

याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित वकील ने कहा कि राज्य सरकार के पास याचिकाकर्ता को एक नगर निगम से दूसरे नगर निगम में स्थानांतरित करने का अधिकार है, लेकिन स्थानांतरण आदेश में स्थानांतरण का कारण और स्थानांतरण की विशिष्ट अवधि का उल्लेख होना चाहिए। उनका तर्क है कि ऐसा न होने पर आदेश अवैध है और इंदौर नगर निगम कर्मचारी कांग्रेस और अन्य बनाम मध्य प्रदेश राज्य और अन्य के मामले में 1998(1) एमपीएलजे 449 में दिए गए फैसले के विपरीत है।

प्रतिवादियों को सात दिनों के भीतर प्रक्रिया शुल्क के भुगतान के लिए नोटिस जारी करें।

नोटिस चार सप्ताह के भीतर वापस करने योग्य बनाए जाएंगे।

दिनांक 15.06.2026 के विवादित स्थानांतरण आदेश में याचिकाकर्ता से संबंधित प्रावधान अगली सुनवाई की तिथि तक स्थगित रहेंगे। याचिकाकर्ता को नगर पालिका परिषद सिवनी में अपना पद जारी रखने की अनुमति दी जाती है।

नियमानुसार प्रमाणित प्रति।

(विशाल धागत) जज